COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20
COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

(6) (11)

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–सीधी R 925-II-17

रमाकान्त गुप्ता पुत्र स्व. अवध प्रसाद गुप्ता, निवासी – ग्राम कोतरकला, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म.प्र)--- आवेदक

विरूद्ध

1– रामानुज गुप्ता पुत्र स्व. महेश प्रसाद गुप्ता,
2– घनश्याम गुप्ता पुत्र श्री अवध प्रसाद गुप्ता,
3– रामनिवास गुप्ता पुत्र श्री महेश प्रसाद गुप्ता,
निवासीगण– ग्राम कोतरकला, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म०प्र०)
4 – शकुन्तला पत्नी स्व.श्री बृजविशाल गुप्ता
5– अरूण गुप्ता पत्नी केशव प्रसाद गुप्ता,
6– इन्द्रवती गुप्ता पत्नी रामकृष्ण गुप्ता,
निवासी– ग्राम कुचवाही, तहसील बहरी, जिला सीधी (म०प्र०)
7– राधेश्याम गुप्ता पुत्र स्व. अवध प्रसाद गुप्ता
8– रामकुमार गुप्ता पुत्र स्व. अवध प्रसाद गुप्ता
9– शिवकुमारी गुप्ता पुत्री स्व.अवध प्रसाद गुप्ता पति ज्ञानेन्द्र कुमार गुप्ता,
10– रामेश्वर गुप्ता पुत्र स्व.अवध प्रसाद गुप्ता
निवासीगण– ग्राम कोतरकला, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म०प्र०)
11– मध्यप्रदेश शासन, द्वारा – कलेक्टर, जिला सीधी (म.प्र.)

––– अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 20.3.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट

न्यायालय तहसीलदार गोपदबनास, जिला सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक 41/अ–5/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 28.03.2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम कोतरकला, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी में स्थित आराजी खसरा नं. 91/मिन–10, रकवा 0.413 है0, 94/मिन–4, रकवा 0.04 है0 तथा सर्वे क्रमांक 101/मिन–6, रकवा 0.51 है0, 102/मिन–4 रकवा 0.04 है0 एवं 103/मिन–6, रकवा 0.44 है0 के नक्शा तरमीम हेतु आवेदन पत्र अनावेदक क्रमांक 2 की ओर विचारण न्यायालय तहसीलदार गोपदबनास, जिला सीधी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जो न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(21)

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-925-दो/17 जिला - सीधी

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 11/06/2019 | आवेदक श्री रमाकांत गुप्ता स्वयं उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार गोपदबनास के प्रकरण क्र. 41/अ-5/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 28.03.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 12.09.2019 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>(महेश चन्द्र चौधरी)<br>सदस्य | |